

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक,
निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना
सभी सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 14-06-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड- 20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक इकाइयों में कुल ₹5,58,71,40,964/- (पाँच अरब अठावन करोड़ एकहत्तर लाख चालीस हजार नौ सौ चौसठ) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक इकाइयों में कुल ₹5,58,71,40,964/- (पाँच अरब अठावन करोड़ एकहत्तर लाख चालीस हजार नौ सौ चौसठ) मात्र का आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड - 20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम औषधालय एवं जिला प्रशिक्षण दल के कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

5. आहार/पथ, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री-पूर्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाइयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जिस संस्थान को जो राशि आवंटित की जा रही है उसी संस्थान में व्यय सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।


7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले प्रारंभ किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन संबंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहाँ पदस्थापित हैं।

2. विधिवत पदस्थापित होने के सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।

3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।



8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा।
11. आवंटित राशि से किए गए कय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
12. मकान किराया के भुगतान के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार पदाधिकारी से पूर्व में भुगतान नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे। सक्षम पदाधिकारी का मकान किराया निर्धारण आदेश एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग का भवन अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की मूल प्रति से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करेंगे।
13. मकान किराया का भुगतान सिर्फ उन्हीं संस्थानों को किया जायेगा जिनका किराया की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी हो। जिनकी स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हो उनका भुगतान बिना स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं विभागीय राज्यादेश संख्या-1307 (21) दिनांक-19.11.86 में निर्धारित दर (अधिकतम 10,000/-) दस हजार रुपये वार्षिक में से जो कम हो का ही भुगतान करेंगे। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होगी तो इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोषी होंगे।
15. वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/सम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।
16. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।
17. संविदा सेवाएँ (28-02) तथा व्यवसायिक / कला/ तकनीकी सेवाएँ (28-04) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी होंगे।
18. सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है।
19. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
20. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

झापांक : 20(7)a

पटना, दिनांक : 14-06-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-7/प्रशाखा पदाधिकारी, आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

क्र.सं.	जिला का नाम	क्षेत्र	जीवन यापन मत्ता (01-03)	मकान मत्ता (01-04)	परिवहन मत्ता (01-05)	शिक्षिता मत्ता (01-06)	अन्य मत्ता (01-07)	योग क्षेत्र	विकिता प्रतिशत (08-01)	धन्य व्यय (11-01)	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव (13-02)	दूरभाष (13-03)	सिद्धि प्रसार (13-04)	शिक्ति प्रसार (13-05)	वर्दी/पोषक (13-06)	क्रिया मन्त्रालय एवं कर (14-01)	सामग्री एवं पूर्ति (21-01)	दवा मंत्रालय (21-02)	आहार/पथ (21-03)	संविदा सेवाएं (22-02)	व्यवसायिक/कला/संस्कृतिक सेवाएं (23-04)	समीचे एवं प्रकल्प (23-01)	कुल	
1	पटना	120000000	18000000	19200000	800000	3120000	2400000	163520000	248550	135000	360000	230000	1200000	25000	135000	110000	975000	1220000	1700000	20010000	320000000	5000000	233498650	
2	मोहनपुर	80000000	12000000	12800000	0	2080000	1600000	108480000	0	45000	240000	105000	950000	25000	80000	60000	750000	1600000	1600000	19680000	20000000	250000	161366500	
3	बक्सर	76000000	11400000	12160000	0	976000	1520000	103056000	0	45000	75000	180000	600000	25000	65000	49500	618750	640000	950000	9370000	15000000	159500	136913750	
4	रहेतास	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	75000	300000	150000	950000	25000	120000	75000	780000	1700000	1700000	14900000	19000000	290000	181795000	
5	मोहनगंज	80000000	12000000	12800000	0	2080000	1600000	108480000	0	75000	300000	150000	950000	25000	80000	60000	780000	1700000	1700000	12180000	19000000	850000	151730000	
6	सुपौल	60000000	9000000	9600000	0	1560000	1200000	81360000	0	67500	240000	127500	600000	25000	80000	60000	750000	1000000	1200000	12070000	25000000	203000	131893000	
7	कटिहार	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	99000	300000	180000	950000	25000	105000	60000	750000	1700000	1350000	14930000	23000000	290000	190226000	
8	सुपौल	80000000	12000000	12800000	0	2080000	1600000	108480000	0	126000	300000	150000	950000	25000	105000	60000	750000	1700000	1700000	18120000	24000000	290000	185531000	
9	मधुनी	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	82500	300000	150000	950000	25000	105000	60000	750000	1700000	1550000	15660000	24000000	290000	183089500	
10	दरभंगा	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	112500	300000	150000	950000	25000	105000	60000	750000	1700000	1550000	14900000	24000000	290000	183223500	
11	शिवगंज	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	112500	300000	150000	950000	25000	105000	60000	750000	1700000	1550000	14900000	24000000	290000	183223500	
12	सीतामढ़ी	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	112500	300000	150000	950000	25000	105000	60000	750000	1700000	1550000	14900000	24000000	290000	183223500	
13	मधुसूदनपुर	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	112500	300000	150000	950000	25000	105000	60000	750000	1700000	1550000	14900000	24000000	290000	183223500	
14	बलसौर	40000000	6000000	6400000	0	1040000	800000	54240000	0	55200	80000	60000	600000	25000	24000	40000	500000	348000	348000	4350000	6000000	650000	72003450	
15	अरवल	60000000	9000000	9600000	0	1360000	1200000	81360000	0	45000	82500	150000	625000	25000	60000	60000	562500	590000	1088000	8600000	13000000	145000	100173000	
16	कौश	50000000	7500000	8000000	0	1300000	1000000	67800000	0	45000	75000	150000	625000	25000	60000	60000	562500	590000	8700000	15660000	20000000	850000	184233500	
17	सहरसा	50000000	7500000	8000000	0	1300000	1000000	67800000	0	45000	75000	150000	625000	25000	60000	60000	562500	590000	8700000	15660000	20000000	850000	184233500	
18	जमुई	20000000	3000000	3200000	0	520000	400000	27120000	0	25200	30000	60000	25000	370000	24000	42000	393750	550000	609000	8700000	13000000	38000	413014200	
19	शिवहर	40000000	6000000	6400000	0	1040000	800000	54240000	0	44100	52500	150000	435000	25000	24000	42000	393750	550000	609000	8700000	13000000	38000	413014200	
20	किसनगंज	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	90000	300000	150000	950000	25000	100000	105000	1275000	550000	1566000	15660000	20000000	850000	184233500	
21	मधिया(पुष्पगंगा)	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	90000	300000	150000	950000	25000	100000	105000	1275000	550000	1566000	15660000	20000000	850000	184233500	
22	गया	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	90000	300000	150000	950000	25000	100000	105000	1275000	550000	1566000	15660000	20000000	850000	184233500	
23	सिवान	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	90000	300000	150000	950000	25000	100000	105000	1275000	550000	1566000	15660000	20000000	850000	184233500	
24	बेगूसराय	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	88200	105000	150000	745000	25000	80000	80000	787500	4780000	5000000	55600000	10006000	203000	168894700	
25	मोकामा	30000000	4500000	4800000	0	780000	600000	40680000	0	30300	45000	150000	505000	25000	36000	36000	337500	3500000	522000	5220000	8000000	87000	59218800	
26	मुंगेर	50000000	7500000	8000000	0	1300000	1000000	67800000	0	45000	105000	150000	600000	25000	60000	60000	562500	1000000	8700000	11310000	18000000	188500	106172000	
27	सुपौल	80000000	12000000	12800000	0	2080000	1600000	108480000	0	45000	105000	150000	600000	25000	60000	60000	562500	1000000	8700000	11310000	18000000	188500	106172000	
28	मुजफ्फरपुर	90000000	13500000	14400000	0	2340000	1800000	122040000	0	90000	300000	150000	950000	25000	95000	60000	540000	5000000	3000000	13920000	20000000	60000	168320000	
29	नौवादा	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	90000	300000	150000	950000	25000	100000	105000	1275000	550000	1566000	15660000	20000000	850000	184233500	
30	मधुसूदनपुर	110000000	16500000	17600000	0	2860000	2200000	149160000	748014	90000	127500	300000	1060000	950000	100000	60000	765000	8000000	14790000	15920000	25000000	246500	203077014	
31	लखीसराय	40000000	6000000	6400000	0	1040000	800000	54240000	0	37800	80000	120000	375000	505000	25000	36000	36000	270000	2800000	6090000	9400000	700000	745869500	
32	नवादा	80000000	12000000	12800000	0	2080000	1600000	108480000	0	120000	150000	300000	375000	700000	25400	80000	60000	585000	12180000	19140000	19900000	28000000	50000	204936500
33	नालन्दा	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	135000	300000	150000	950000	25000	115000	150000	990000	1600000	19140000	19900000	28000000	50000	204936500	
34	मोहनगंज	70000000	10500000	11200000	0	1820000	1400000	94920000	0	45000	82500	150000	625000	25000	65000	50000	495000	5000000	1000000	9570000	20000000	159500	132329000	
35	मोहनगंज	90000000	13500000	14400000	0	2340000	1800000	122040000	0	75000	112500	300000	125000	950000	65000	50000	495000	5000000	1000000	9570000	20000000	159500	132329000	
36	मोहनगंज	60000000	9000000	9600000	0	1560000	1200000	81360000	0	45000	80000	150000	625000	25000	65000	50000	495000	5000000	1000000	9570000	20000000	159500	132329000	
37	बनारस	40000000	6000000	6400000	0	1040000	800000	54240000	0	45000	60000	150000	625000	25000	36000	36000	48000	405000	7680000	9570000	15000000	250000	120609500	
38	बनारस	50000000	7500000	8000000	0	1300000	1000000	67800000	0	45000	60000	150000	625000	25000	36000	36000	48000	405000	7680000	9570000	15000000	250000	120609500	
कुल		2896000000	434400000	4633600000	800000	75296000	57920000	3927776000	996564	2851800	3305000	8530000	30185000	95000000	30185000	28105000	26973000	293100000	49128000	476170000	718412000	11927000	5560578364	

20(7)9
14-06-18

पॉप अरब छयन करेड पांच लाख अटवलर हजार तीन सौ चौसठ) रूप मात्र

आयकर विभाग

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में व्यवहारिक पोषाहार के लिए देन भत्ता एवं अन्य मदों में आवंटन

क्रम	प्रखण्ड का नाम	देन	जीवन यापन भत्ता	भक्त भत्ता	परिवहन भत्ता	विकिरसा भत्ता	अन्य भत्ता	योग देन	कुल
1	निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना	2500000	375000	250000	50000	50000	50000	3275000	3275000
2		3	4	5	6	7	8	9	10
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)		

(बत्तीस लाख पचहत्तर हजार रू० मात्र)

सरकार के विशेष सचिव

14/6/18

विवरण-III

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में चलान कर्मशाला अर्थात् देन भत्ता एवं अन्य मदों में आवंटन

क्रम	प्रखण्ड का नाम	देन	जीवन यापन भत्ता	भक्त भत्ता	परिवहन भत्ता	विकिरसा भत्ता	अन्य भत्ता	योग देन	कुल
1	चलान कर्मशाला, दरभंगा	900000	135000	90000	0	18000	18000	1161000	1161000
2	चलान कर्मशाला, आरा	900000	135000	90000	0	18000	18000	1161000	1161000
3	चलान कर्मशाला, गया	900000	135000	90000	0	18000	18000	1161000	1161000
4	चलान कर्मशाला, भागलपुर	900000	135000	90000	0	18000	18000	1161000	1161000
5	चलान कर्मशाला, सहरसा	900000	135000	90000	0	18000	18000	1161000	1161000
6	चलान कर्मशाला, गुलजारबाग	900000	135000	90000	50000	18000	18000	1211000	1211000
7	चलान कर्मशाला, पटना	900000	135000	90000	0	18000	18000	1161000	1161000
8	चलान कर्मशाला, मोतीहारी	900000	135000	90000	0	18000	18000	1161000	1161000
	कुल:-	7200000	1080000	720000	100000	144000	144000	9388000	9388000

(चिरान्दे लाख अठ्ठासी हजार रू० मात्र)

20(4)9

14-06-18

सरकार के विशेष सचिव

14/6/18

विवरण-IV

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 12 मोटर यांत्रिक का आवंटन

क्रम	प्रखण्ड का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नालन्दा	900000	135000	90000	10800	10800	1146600	1146600
2	सिवान	900000	135000	90000	10800	10800	1146600	1146600
3	औरंगाबाद	900000	135000	90000	10800	10800	1146600	1146600
4	रोहतास	900000	135000	90000	10800	10800	1146600	1146600
5	कैशाली	900000	135000	90000	10800	10800	1146600	1146600
6	मधुबनी	900000	135000	90000	10800	10800	1146600	1146600
7	समस्तीपुर	900000	135000	90000	27000	18000	1170000	1170000
8	बेगूसराय	900000	135000	90000	27000	18000	1170000	1170000
9	पुर्णिया	900000	135000	90000	27000	18000	1170000	1170000
10	नवादा	900000	135000	90000	27000	18000	1170000	1170000
11	बेतिया	900000	135000	90000	27000	18000	1170000	1170000
12	कटिहार	900000	135000	90000	27000	18000	1170000	1170000
	कुल योग:-	10800000	1620000	1080000	226800	172800	13899600	13899600

(एक करोड़ अड़तीस लाख निम्नचे हजार छः सौ) रुपये मात्र

20(7)अ
14-06-18

14/6/18
सरकार के विशेष सचिव

10

विद्यार्थीवार स्थिति

-6-
विद्यार्थी-V

क्रम	विद्यार्थी	वेतन	योग्यता	भतान	परिवहन	विकिरसा	अन्य	योग	विकिरसा	यात्रा	कार्यालय	वाहन का	दुपार	विद्युत	विशि	वर्दी /	किसाया	सामग्री एवं	दवा	आहार /	संविदा	व्यवसायिक /	मशीने	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)		(08-01)	(11-01)	(13-01)	(13-02)	(13-03)	(13-04)	(13-05)	(13-06)	(14-01)	(21-01)	(21-02)	(21-03)	(28-02)	(28-04)	(52-01)	
1	विद्यार्थी-I	2896000000	434400000	463360000	800000	75296000	57920000	397776000	996664	2851800	3505000	8580000	4360000	30020000	950000	3018500	2810500	26973000	293100000	49128000	476170000	718412000	11927000	5560578364
2	विद्यार्थी-II	2500000	375000	250000	50000	50000	50000	3275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3275000
3	विद्यार्थी-III	7200000	1080000	720000	100000	144000	144000	9388000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9388000
4	विद्यार्थी-IV	10800000	1620000	1080000	0	226800	172800	13899600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13899600
	कुल योग	2916500000	437475000	465410000	950000	75716800	58286800	3954338600	996664	2851800	3505000	8580000	4360000	30020000	950000	3018500	2810500	26973000	293100000	49128000	476170000	718412000	11927000	5587140964

20 (7) 10
14-06-18

प्राप्त अरब अंशरत करोड एकहतर लाख बालीस हजार नौ सौ चौसठ्ठ रुपये मात्र

सरकार के विशेष सचिव
14/6/18

उपबंध की स्थिति

-7 -

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	वेतन (0001-01-01)	5999146000	2916500000	3082646000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	899872000	437475000	462397000
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	959863000	465410000	494453000
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	1930000	950000	980000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	152352000	75716800	76635200
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	119982000	58286800	61695200
7	रजौहार अग्रिम (0001-01-08)	5000000	0	5000000
8	योग 20-2210.03.103.0001.01-वेतन चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	8138145000	3954338600	4183806400
9	यात्रा व्यय (0001-11-01)	5000000	996564	4003436
10	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	6400000	2851800	3548200
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	9200000	3505000	5695000
12	दूरभाष (0001-13-03)	23000000	8580000	14420000
13	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	10000000	4360000	5640000
14	विधि प्रभार (0001-13-05)	40000000	30020000	9980000
15	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	2000000	950000	1050000
16	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	6390000	3018500	3371500
17	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	7500000	2810500	4689500
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	45000000	0	45000000
19	दवा भंडार (0001-21-02)	66200000	26973000	39227000
20	आहार / पथ्य (0001-21-03)	660000000	293100000	366900000
21	लघु कार्य (0001-27-01)	100000000	49128000	50872000
22	अनुक्षण एवं मरम्मत (0001-27-02)	10000000	0	10000000
23	सविदा सेवाएँ (0001-28-02)	1000000000	476170000	523830000
24	व्यवसायिक / कला/ तकनीकी सेवाएँ (0001-28-04)	1500000000	718412000	781588000
25	मशीनें एवं उपस्कर (0001-52-01)	30000000	11927000	18073000
	कुल योग:-	11658836000	5587140964	6071695036

20(7)9
14-06-18

सरकार के विशेष सचिव
14/6/18